



अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ऑनलाइन/ एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय

22.03.2017 को सायं 5.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की विक्री। चूंकि, यूको बैंक के प्राधिकरण अधिकारी ने निम्न विवरणितानुसार बैंक की बकाया राशि लास ब्याज की वसूली हेतु “जहाँ है जैसे है जो है के आधार पर तथा “जैसे है जैसे है के आधार पर” सम्पत्ति की विक्री करने का अधिकार के साथ निम्न क्रम खाते में प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत सूचना जारी करके निम्न सम्पत्तियों पर साकेतिक कब्जा कर लिया है और चूंकि इस बकाया राशि का भुगतान न कर पाने के परिणाम स्वरूप, उक्त अधिनियम 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सम्पत्तियों की विक्री द्वारा की बकाया राशि को वसूलने का प्रस्ताव किया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह विक्री वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net>, पर उपलब्ध कराएं गये ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये की जायेगी।

## चल / अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा एवं खातेदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	बकाया राशि व डिमांड नोटिस की तिथि	ईएमडी जमा करने का खाता विवरण एवं आरक्षित मूल्य एवं ₹0एम0डी0 10%
1. <b>अधियाना</b> मैसर्स ज्योति फूड्स प्रोडक्ट्स (प्रो० श्री राजीव कुमार) निवासी मौहल्ला बंजारन नकुड़, जिला सहारनपुर	<b>सम्पत्ति नं० १:-</b> आवासीय बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड प्लाट, माप क्षेत्रफल 56.46 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला बंजारन अधियाना तहसील, नकुड़, जिला सहारनपुर, सम्पत्ति स्वामी श्री राजीव कुमार। <b>सीमायें:-</b> पूर्व: बसंता लाल व सुनील सैनी का मकान, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: डॉ. प्रदीप कुमार सिंधल का मकान, दक्षिण: सुनील सैनी का प्लाट। <b>सम्पत्ति नं० २:-</b> आवासीय बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड प्लाट, माप क्षेत्रफल 35.93 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला बंजारन अधियाना तहसील, नकुड़, जिला सहारनपुर, सम्पत्ति स्वामी श्री राजीव कुमार। <b>सीमायें:-</b> पूर्व: बसंता का मकान, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: श्री प्रवीन सिंधल का प्लाट, दक्षिण: श्री राजीव कुमार का प्लाट। <b>सम्पत्ति नं० ३:-</b> आवासीय बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड प्लाट, माप क्षेत्रफल 87.25 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला बंजारन अधियाना तहसील, नकुड़, जिला सहारनपुर, सम्पत्ति स्वामी श्री राजीव कुमार। <b>सीमायें:-</b> पूर्व: बसंता की सम्पत्ति, पश्चिम: रास्ता 12' चौड़ा, उत्तर: श्री राजीव कुमार का मकान, दक्षिण: श्री राजीव कुमार की सम्पत्ति	28.07.2008 रु. 840416/- + व्याज व अन्य खर्चे	रु. 400000/- A/c no. 16531015020019 A/c Name : Neft Payable Account UCO BANK Name of Benefeciery: AUTORISED OFFICER UCO BANK, IFSC CODE : UCBA0001653	
2. <b>धानपुर</b> श्री दिव्येश कुमार पुत्र अजय पाल सिंह और श्रीमती विधि शर्मा पत्नी श्री दिव्येश कुमार, निवासी: नई हिन्दु कॉलोनी, निकट सरल हॉस्पिटल नगरिना रोड, धानपुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय प्लाट, माप क्षेत्रफल 0.022 हेक्टेयर, स्थित मौहम्मद अलीपुर, मुक्ता धानपुर, बिजनौर, जो श्री दिव्येश कुमार पुत्र अजय पाल सिंह के नाम है। <b>सीमायें</b> इस प्रकार हैं:- <b>पूर्व:</b> योपराज शर्मा की भूमि, <b>पश्चिम:</b> रोड, उत्तर: बलवंत सिंह और सूरज सिंह की भूमि, <b>दक्षिण:</b> रघुवीर सिंह की भूमि	06.10.2015 रु. 659469/- + व्याज व अन्य खर्चे	रु. 330000/- A/c no. 24461015020019 A/c Name : Neft Payable Account UCO BANK Name of Benefeciery: AUTORISED OFFICER UCO BANK, IFSC CODE : UCBA0002446	

ई-नीलामी की दिनांक 23.03.2017 समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) टेप्डर जमा करने की अन्तिम तिथि 22.03.2017 समय सांय 05:00 बजे।

**नियम व शर्ते :-** 1. ई-नीलामी “जहाँ है जैसे है जो है के आधार पर” की जा रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे/अधिकार/वकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करवाए तो ३. ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिवेदन या प्रतीनिधित्व को गाठित नहीं करेगा और गाठित करने के लिए माना नहीं जायेगा। यह सम्पत्ति बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी पौजूदा तथा भविष्यत ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/डिझुल के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 4. बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को सुनुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदातों की होगी। नीलामी में रखे जाने वाली सम्पत्तियों के निरीक्षण करने की अनुमति प्रकाशन की तिथि से दस दिनों व ईएमडी जमा करवाने की अन्तिम तिथि तक कार्य दिवसों के दौरान **पूर्व 11.00 बजे से 4.00 बजे तक** स्थल पर ही इच्छुक बोलीदारों को दी जाएगी। 4. इन्हुके निर्विदाकर्ता वेब पोर्टल <https://ucobank.auctiontiger.net> के माध्यम से अपना **ईएमडी** जमा करें, सूनर आईडी**0** एवं पासवर्ड

<https://ucobank.auctiontiger.net> पर लॉगिंग कर के निःशुल्क प्राप्त किया जा सकत है। **EMD** का भुगतान **NEFT/RTGS** द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में होगा। कृपया ध्यान दें चैक/डिमांड ड्राफ्ट ईंटमीडी राशि के तौर पर स्वीकृत नहीं होगे। ५। वेबपोर्टल में बोलीदारों रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्याशित बोलीदार/खरीदारों को बोली जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब पोर्टल पर अपलोड किये गये निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। १।) अर्थात् एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.-एस. चालान की प्रति। २।) पैन कार्ड की प्रति। ३।) पहचान प्रमाण (के.वै.सी.) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वसंतायित प्रति। ४।) आवास प्रमाण की प्रति, जिसके बैरी बोली रद्द कर दी जायेगी। **विधिवत् भरी हुई तथा हस्ताक्षर करने के बाद परिशिष्ट**

॥ व ॥ (निवाद सुचना में निर्विच्छ) की त्रैन की हुई प्रतियो वेब पोर्टल <https://ucobank.auctiontiger.net> पर अपलोड करें। ६. इच्छुक बोतीशाता जिन्हे लॉगइन आईडी व पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोती जमा करने, ई-बोती प्रक्रिया पर प्रशिक्षण में सहायता चाहिए वे सम्पर्क करें ऐसर्स ई-प्रोपर्टरमेंट टैकोलोजीज लिमिटेड, A-801, बौत स्ट्रीट-II, ओरियट कल्प, निकट गुजरात कोटियन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 (गुजरात), फोन नं.: +91-7940230800 तथा किसी भी सम्पर्क से संबंधित प्रश्न के लिए कार्यविस्तर के द्वारा कार्यालय समय में प्राप्तिकृत

सम्पादन की इन-नोटलामा बालादार के मध्य परस्पर बाला के द्वारा प्रत्येक संपात के ग्रान निवारण तथा व सम्पादन पर सचालन की जायगा। १०. बालादार प्रत्यक्ष संपात के सम्पादन "बाला बालादार राशि" कोलम के तहत निर्विच्छिन्न राशि के गुणमें अपने और बढ़ायेंगे। योग बोली इन-नोटलामी प्रक्रिया के अन्तिम समय के अंतिम ५ मिनट में रखी जाएंगे। तो अंतिम समय खत्य: ५ मिनट (असरीवासी विस्तार) के लिए ताजा जामा और बोलीदार ई-नोटलामी प्रक्रिया के अन्तिम समय में उत्तर समय बोली जाएगी। तरह सफल बोलीदार का उत्तर समय खत्य किया जायेगा। और इसके लिए सचयन ईलैक्ट्रोनिक मोड के जरिये जारी की जायेगी जो कि प्राधिकरण अधिकारी प्रत्यागत बोलीदार की स्वीकृति के अधीन होगी। १०. सफल बोलीदार का थोरोडर गणित ज्ञान (हाईमधी)

आंशिक बिक्री पर विवर कर रखो। जायेगी तथा सफल बोलीदाता की ईएमटी लीटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई व्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राथिकृत अधिकारी द्वारा बोली रुपय की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर पहले जमा की गई ईएमटी समायोजित पर बिक्री राशि **25%** राशि हर कर्यालयी होगी और शेष **75%** बिक्री के 15वें दिन पर या इससे पूर्व अथवा प्राथिकृत अधिकारी के विवेक पर लिखित में सहमत हर्फ बड़ाइ गई अवधि के भीतर जमा कर्यानी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भगतान न कर पाने की स्थिति में, प्रतावक द्वारा पहले जमा की गई राशि जब तक ली जायेगी

और सम्पत्ति को पुणः नीलामी के लिए रखा जाएगा और दोषी ऋणकारी का सम्पत्ति/प्रधि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। 11. प्रत्याशित योग्यता प्राप्त बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पूर्व मैसर्स ई-प्रोक्षोरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। प्रधिकृत अधिकारी/वैंक अथवा मैसर्स ई-प्रोक्षोरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, किसी भी इंटरनेट नेटवर्क की समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगे और इच्छुक बोलीदाता सुनिश्चित कर ले कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से सुरक्षित हैं। 12. खरीदार लागू स्टॉप डिट्री/असिरिक

स्टोप ड्यूटी/हस्तांतरण प्रभार फीस इत्यादि को वहन करेगा और वह सभी और सवैधानिक देयों, करों, दरों मूल्यांकन प्रभार, और किसी की भी फ़ास इत्यादि को वहन करेगा। 13. प्राधिकार अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास बिना कोई कारण बताता है। ई-नीलामी के स्थान/विवरण/निरस्तरीकरण या किसी भी या सभी प्रत्यावरों को स्वीकृत या निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार है। 14. बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करवाने से पूर्व ऐसर्ट ई-प्रोब्रोमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, की वेब पोर्टल :

<https://ucobank.auctiontiger.net> पर उपलब्ध इनालमा को वास्तुतः शता व नियमा का ध्यानपूर्वक दखन की स्थिति दी जाता है। 15. प्रकाशन अप्रयाश्ट घटना खेड के अधीन है। 16. बोती में अन्तिम समय में बोलादाता के हित को नजर अंदर लिये जाने पर न ही यूके बैंक एवं न ही सीविसदाता किरी युक्त/इन्स्ट्रेनेट के असफल होने/पावर के असफल आदि होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा हम आक्रियक स्थिति में बोलादाता से निवेदन है कि वह आवश्यक व्यवस्थाएं/अन्य किल्प जैसे की विज्ञता सारली/बैंकअप आदि का प्रवंथ सुनिश्चित कर ले जिससे कि वह इन प्रतिक्रियाओं से भाग सके। सामाजिकतानी नीतियां भी आगे ले सके।

**उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धकर्ता को नियम 8(6) के सिक्युरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समेंट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना**  
उपरोक्त उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धकर्ता को नोटिस दी जाती है कि वह ई-पीलामी से पूर्व अपना कूल बकाया व्याज एवं अन्य खर्चों सहित जमा कर दें।

इसमें असफल होने पर उन सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे व्याज एवं लागत सहित वसूली की जायेगी।

दिनांक : 17.02.2017

प्राधिकृत अधिकारी